न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारी – ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या –61/2019 (प्रार्थना पत्र)

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉरपोरेशन प्रा0 लि0 जरै प्राधिकृत अधिकारी शाखा कार्यालय पहली मंजिल 10 डी, पंजवानी कॉम्पलेक्स मल्टीपरपज स्कूल के सामने, गुमानपुरा कोटा

——प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती नीतू कुमारी पत्नी श्री बदीलाल निवासी– देवनारायण की गली, बालिता रोड , वार्ड नं0 1, बापू नगर, कच्ची बस्ती, कुन्हाडी, जिला कोटा– 324008 राजस्थान
2. श्री बदीलाल पुत्र श्री प्रभुलाल निवासी– देवनारायण की गली, बालिता रोड , वार्ड नं0 1, बापू नगर, कच्ची बस्ती, कुन्हाडी, जिला कोटा– 324008 राजस्थान
3. श्री प्रभुलाल पुत्र श्री गोरधनलाल निवासी– देवनारायण की गली, बालिता रोड , वार्ड नं0 1, बापू नगर, कच्ची बस्ती, कुन्हाडी, जिला कोटा– 324008 राजस्थान

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरिटीजेशन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसीस्ड एण्ड इनफोर्समेन्ट सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002
अप्रार्थीगण की ओर से आपत्तियों
प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन

उपस्थिति
श्री सेफुददीन अंसारी, अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

दिनांक– 17.03.2020

1. प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के प्रकरण संख्या 07/2019 बउनवान इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉपोरेशन लि0 बनाम श्रीमती नीतू कुमारी वगै0 द्वारा बंधककर्ता अचल सम्पत्ति आबादी भूमि पर रिहायशी प्लाट सर्वे नं0 474, देवनारायण की गली, बापू नगर कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा कोटा राजस्थान का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने का आदेश दिनांक 06.02.2019 को पारित किया गया। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों एव कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा आदि का भुगतान नियमों में देय है, को संबधित वित्तीय संस्था के द्वारा वहन किया जावेगा, आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को हस्त कायदा जारी की गई है। सम्पत्ति की स्वामित्व एव कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

उक्त पारित आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित न्यायालय को लौटाये जाने के आदेश उक्त तिथि को पारित किये गये हैं।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आदेश पारित होने के पश्चात प्रार्थी वित्तीय संस्था के द्वारा आदेश की आड लेकर प्रार्थी वित्तीय संस्था के कर्मचारी/ अधिकारीगण प्रार्थी के उक्त आवास पर दिनांक 18.03.2019 को आयें, और प्रार्थी को धमकी दी वहॉ सम्पत्ति पर से कब्जा छोड दें, एवं सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था को दे दें, इस हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था के कर्मचारियों व अधिकारियों ने अप्रार्थीगण ऋणी व सहऋणी के साथ में काफी बदतिमिजी की एवं माननीय न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश की जानकारी दी, जिस पर अप्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 25.03.2019 को नकल तैयार कर दी गइ, जिस पर प्रार्थी को पूर्ण तथ्य अनुसार माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2019 की जानकारी हुई। जानकारी के पश्चात प्रार्थी द्वारा निम्न आधारों पर उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ऋणी व सहऋणी के द्वारा यह आपत्तियॉ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है कि उक्त अधिनियम के तहत वित्तीय संस्थान के द्वारा कोई भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व अधिनियम की धारा– 13 में प्रावधानित विधिक प्रक्रिया के तहत पालना लिया जाना आवश्यक हैं, परन्तु प्रार्थी वित्तीय संस्थान के द्वारा अधिनियम की धारा–13 की प्रक्रिया का पालन ना कर मात्र सरसरी तौर से अधिनियम की धारा–14 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जो कि विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी वित्तीय संस्थान के द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत उसके ज्ञात एवं वास्तविक निवास के पते पर कोई रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित नहीं किया गया और ना ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एव अधिनियम के तहत प्रावधानिक विहित नियमों की प्रक्रिया का पालन करते हुये नोटिस की तामिल करवाई गई हैं, जिससे अप्रार्थीगण को ज्ञात हो सके कि उनके विरूद्ध शेष हैं, जिसका कि अप्रार्थीगण ऋणी एवं सहऋणी वित्तीय संस्थान के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर सकें। प्रार्थी को माननीय न्यायालय के द्वारा तलब कर उक्त शपथ पत्र पर जिरह का अवसर नहीं दिया, ऐसी स्थिती में उक्त शपथ पत्र को पारित आदेश का आधार मानने में माननीय न्यायालय के द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत जाकर आदेश पारित किया हैं। प्रार्थी वित्तीय संस्थान के द्वारा धारा 28 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा जारी दिशा– निर्देश की अनुपालना नहीं की गई और मनमाना ब्याज अप्रार्थी ऋणी के उपर आयद किया गया हैं, जिसके लिये प्रार्थी वित्तीय संस्थान के उपर शास्ति आरोपित किया जाना न्यायसंगत होगा। अप्रार्थीण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं जिनके द्वारा उक्त स्कीम के तहत आने वाली समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकार हैं। अप्रार्थीगण अत्यधिक गरीब परिवार के सदस्य है, जिनके द्वारा बमुश्किल अपना जीवन यापन किया जाता है, परन्तुत फिर भी अप्रार्थीगण वित्तीय संस्थान की बकाया को उचित मध्यस्थता के अनुसार अदा करने को तत्पर व तैयार है।

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में ऋणी व सहऋणी की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों को स्वीकार फरमाया जाकर पारित आदेश दिनांक 06.02.2019 को अपास्त किया जावें, एवं प्रार्थी वित्तीय संस्थान को आदेशित किया जावे कि वह अप्रार्थीण ऋणी एवं सहऋणी को प्रावधानों के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करे।

5. हमने वकील अपीलान्ट की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया, चूंकि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल पत्रावली में निर्णय पारित किया जा चुका हैं, जिसे रिव्यु करना हम उचित नहीं समझते हैं। अतः गुणावगुण के आधार पर व तथ्यों पर मनन करने के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।

6. निर्णय आज दिनांक 17.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कंसेरा)
जिला कलेक्टर कोटा
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner